



उपभोक्ता जागरूकता साहित्य

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) आय मान्यता पर विवेकपूर्ण मानदंडों से आरबीआई के स्पष्टीकरण के अनुपालन में, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानों से सम्बंधित 12 नवंबर, 2021 को दिनांकित ("आरबीआई" आईआरसीएपी मानदंड स्पष्टीकरण") मानदंडों के बारे में समय-समय पर संशोधन और/या आवश्यक/निदेशन में आरबीआई, अतिदेय (एसएमए/एनपीए) के रूप में सुविधा को वर्गीकृत और सूचित करेगा। इस तरह के खातों के अग्रिम उन्नयन को भी उपरोक्त स्पष्टीकरण द्वारा निदेशित किया जाएगा।

नीचे यह तरीका है जिससे कंपनी द्वारा इस तरह के वर्गीकरण और उन्नयन किए जाएंगे।

अतिदेय दिनांक :

यदि सक्रिय दिन की अंतिम प्रक्रिया तक सम्पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है तो खाते को अतिदेय खाते के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा।

अतिदेय दिनांक का उदाहरण: यदि किसी ऋण खाते का देय दिनांक 28 फरवरी 2023 है, और कंपनी द्वारा इस दिनांक के लिए दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले संपूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय दिनांक 28 फरवरी 2023 होगी।

विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) वर्गीकरण:

यदि कंपनी अपने दिन-अंत प्रक्रिया को चलाने के समय डिफॉल्ट (निर्धारित समय-सीमा के अनुसार) बनी रहती है, तो कंपनी उस खाते को एसएमए/एनपीए के रूप में चिह्नित करेगी। आरबीआई आईआरसीएपी मानदंड स्पष्टीकरण में दिए गए वर्गीकरण पैरामीटर इस प्रकार हैं:

ऋण / सुविधाएं	
एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए-0	30 दिन तक
एसएमए-1	30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए-2	60 दिन से अधिक और 90 दिन तक

एसएमए-1 वर्गीकरण:

उपर्युक्त उदाहरण के क्रम में, यदि 30 मार्च 2023 दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर खाता अतिदेय रहता है, तो इसे एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एसएमए-2 वर्गीकरण:

इसी प्रकार, यदि 29 अप्रैल 2023 दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर उपरोक्त खाता अतिदेय रहता है, तो इसे एसएमए 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) वर्गीकरण:

यदि उपर्युक्त खाता 29 मई 2023 दिन-अंत प्रक्रिया चलने पर अतिदेय रहता है, तो इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसे ऋण क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कंपनी "कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आईएनडी एस मानदंडों का पालन करती है।

एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन

एक बार जब कोई खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, तो उसे मानक परिसंपत्ति (एसएमए-0/एसएमए-1/एसएमए-2) के रूप में **तभी अद्यतन** किया जाएगा, जब उधारकर्ता द्वारा उस विशेष दिनांक के दिन-अंत गतिविधि चलाने के समय ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का भुगतान किया जाएगा।

पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के दिनांक (डीसीसीओ) की गैर-उपलब्धि आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए निर्दिष्ट मौजूदा निदेश लागू होते रहेंगे।

चित्रण:

क्र.सं	दिन-अंत प्रक्रिया	विवरण	टिप्पणी
1.	28, फरवरी 2023	दिन-अंत तक चलने वाली प्रक्रिया के समय सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान न किया जाना।	अतिदेय दिनांक
2.	30, मार्च 2023	भुगतान न किए जाने की स्थिति दिन-अंत प्रक्रिया के समय तक बनी रहती है।	खाते को 31 मार्च 2023 को SMA-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
3.	29, अप्रैल 2023	भुगतान न किए जाने की स्थिति दिन-अंत प्रक्रिया के समय तक बनी रहती है।	30 अप्रैल 2023 को खाते को एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
4.	29, मई 2023	भुगतान न किए जाने की स्थिति दिन-अंत प्रक्रिया के समय तक बनी रहती है।	खाता 30 मई 2023 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

उपभोक्ता जागरूकता साहित्य

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक परिसंपत्ति' में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा मूलधन और ब्याज का पूरा बकाया चुका दिया गया हो।

उधारकर्ताओं का परिसंपत्ति वर्गीकरण आरबीआई द्वारा आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर जारी मास्टर परिपत्र सहित मौजूदा आरबीआई दिशानिदेशों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विस्तृत दिशानिदेशों के लिए, कृपया आरबीआई के मास्टर परिपत्र - मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 दिनांक 1 सितंबर, 2016 और अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंड - स्पष्टीकरण दिनांक 12 नवंबर, 2021 देखें। उपरोक्त परिसंपत्ति / एसएमए वर्गीकरण मानदंड समय-समय पर जारी नियामक निदेशों के अनुसार परिवर्तन के अधीन हैं।